तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पाबूराम सुथार बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार पीपाड़शहर) सू.अ.अ. अपील संख्या 24 / 2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.21	अपीलार्थी पाबूराम सुथार पुत्र कालूराम सुथार ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.01.2021 में उसके द्वारा (1) प्रधानमंत्री समान निधि योजना के अन्तर्गत 1 मार्च 2019 पश्चात् किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके वारिसानों के नाम म्यूटेशन भर दिया जाता है जिनके नाम ऑनलाईन जमाबंदी में तो शो हो रही है लेकिन ई मित्र के smf पोर्टल पर अब भी मृतक का नाम शो होने के बाद उक्त योजना में आवेदन करने पश्चात् पटवारी जमाबंदी रजिस्टर के आधार पर उनके बालिग वारीसानों के नाम उपरोक्त योजना के आवेदन स्वीकृत किये जा सकते है या नहीं, विभाग केवल या नहीं में अपनी राय दे। व अन्य 11 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 68 दिनांक 02.02.2021 के सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से आदिनांक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दुवार सूचना जरिये पत्रांक 68 दिनांक 02.02.21 प्रेषित की गई परन्तु वो लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं दी गई। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को जो सूचना दी गई वो पुनः प्रमाणित कर सूचना उपलब्ध कराई जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	